उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2
संख्या-7/2024/10/18-2-2024/18-2099/177/2023
लखनऊ:दिनांक: 25 जनवरी, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने संबंधी शासनादेश संख्या-39/2023/694/18-2-2023/18-2099/177/2023 दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा निर्गत कर दिया गया है। एतद्द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हेतु दिशा-निर्देश/Standard Operating Procedure(SOP) कार्यान्वयन हेतु संलग्नक अनुसार निर्गत की जा रही है।

<u>संलग्नक-: Standard Operating Procedure(SOP)</u>

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हेतु क्रियान्वयन निर्देश(एस0ओ0पी0)

शासनादेश संख्या: 39/2023/694/18-2-2023/18-2099/177/2023 दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना प्रदेश में लागू की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1) आवेदन एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

1.1 योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप-1)पर अपना आवेदन आनलाईन रूप से विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in किया जाएगा।

1.2 जो उद्यमी जी0एस0टी0आई0एन0/टी0आई0एन0 लेने को पात्र हैं, वे उद्यमी इस योजना में लाभ लेने हेतु अर्ह नहीं होगें।

1.3 योजना के प्रथम वर्ष में ऐसे सूक्ष्म उद्यमी, जो दिनांक 14.08.2023 तक Udyam Registration Portal अथवा Udyam Assist Portal पर पंजीकृत हैं, एवं **GST** विभाग द्वारा संचालित बीमा योजना में आच्छादित नहीं है, दुर्घटना होने की स्थिति में योजनान्तर्गत बीमा का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की श्रेणी में माने जायेंगे। उनके लिये विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर पंजीकृत होना बाध्यकारी नहीं होगा।

1.4 योजना के प्रथम वर्ष में आनलाइन तथा आफलाइन दोनों संस्करणों के माध्यम से यह योजना संचालित की जायेगी।

1.5 आवेदन के समय पोर्टल पर निम्नानुसार प्रपत्र अपलोड किया जाएगा:-

1.5.1 उद्यम रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण-पत्र। पंजीयन न होने की दशा में पोर्टल पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए पंजीयन कराकर प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा।

1.5.2 उद्यमी द्वारा पोर्टल पर आवेदन के साथ रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (**प्रारूप-2)** पर निम्न विवरण अपलोड कराया जाएगा-

1) बीमा का लाभ प्राप्त करने हेतु नामिनी का विवरण।

2) इस आशय का घोषणा पत्र कि उद्यमी वास्तविक रूप से उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र में कार्यरत है।

3) इस आशय की घोषणा कि संदर्भित उद्यमी वाणिज्य कर विभाग की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य दुर्घटना बीमा योजना में आच्छादित नहीं है।

4) आयु निर्धारण हेतु जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र।

1.6 उपरोक्तानुसार विवरण उद्यमी द्वारा सफलतापूर्वक भर दिए जाने के उपरांत उद्यमी द्वारा अपने बीमे का पात्रता प्रमाण-पत्र (**प्रारूप-3**) स्वतः डाउनलोड कर लिया जाएगा।

1.7 पात्रता प्रमाण-पत्र में बीमा कवरेज अवधि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

2) दुर्घटना बीमा क्लेम की प्रक्रिया:-

2.1 पंजीकृत एवं पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित द्वारा नामित नामिनी अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा पोर्टल पर धनराशि क्लेम हेतु निर्धारित प्रारूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(**प्रारूप-4)** पर आवेदन किया जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत परन्तु विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर पंजीकृत नहीं होने की दशा में आफलाइन क्लेम फार्म जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका प्रसंस्करण एवं संवीक्षा संबंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा किया जायेगा।

क्लेम आवेदन के समस्त प्रपत्र 2.2 के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।

2.2 क्लेम आवेदन के साथ निम्नवत् प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड एवं आफलाइन प्रदान किए जायेंगे:-

2.2.1 दुर्घटना की तिथि, स्थान व दुर्घटना के संबंध में अन्य विवरण|

2.2.2 दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) की प्रति।

2.2.3 मृत्यु होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति।

2.2.4 आंशिक स्थायी अपंगता होने की दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रतिशत का प्रमाण-पत्र।

2.2.5 नामिनी के बैंक खाते का विवरण।

2.3 उपरोक्तानुसार आनलाइन/प्रथम वर्ष में आफलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा क्लेम हेतु आवेदन जमा करते ही संबंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा 03 कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को पोर्टल पर अपलोड अथवा आफलाइन जमा किए गये समस्त प्रपत्रों के मूल दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करने हेतु तिथि एवं समय प्रदान किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने पर उसी दिन संबंधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, के स्तर पर दस्तावेजों का सघन परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी प्रपत्र में कमी पायी जाती है, तो आवेदक को संबंधित दस्तावेजों को पूर्ण करने हेतु आवेदक को अधिकतम एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा। इस हेतु कार्यालय के संबंधित पटल द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। तदोपरान्त आवेदक के पूर्ण दस्तावेजों से सहमत होने पर संबंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण के आधार पर 07 कार्य दिवसों के अंदर अपनी संस्तुति **(प्रारूप-5 पर)** पोर्टल पर अपलोड एवं प्रथम वर्ष में आफलाइन के माध्यम से निदेशालय कानपुर को उपलब्ध करा दी जायेगी इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह सम्पूर्ण कार्य 02 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये।

2.4 निदेशालय स्तर पर जिलों के उपायुक्तों की संस्तुति आनलाईन एवं आफलाइन रूप से प्राप्त होने के उपरांत नामिनी के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से निदेशालय द्वारा अधिकतम 01 माह में धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी **(प्रारूप-6 पर)**।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप - 1

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1	इकाई का नाम	---
2	इकाई की श्रेणी-सूक्ष्म	---
3	इकाई का प्रकार	---
	उद्योग	---
	सेवा	---
4	इकाई की संरचना	---
	प्रोपराइटरशिप	---
	पार्टनरशिप	---
	कम्पनी	---
	सोसाइटी	---
	अन्य	---
5	PAN नम्बर	---
6	फैक्ट्री का पूर्ण पता (पिनकोड सहित)	---
	दूरभाष	---
	मोबाइल	---1. -------2. ------
	ई-मेल	---
7	कार्यालय का पूर्ण पता(पिनकोड सहित)	---
	दूरभाष	---
	मोबाइल	---
	ई-मेल	---
8	इकाई स्वामी/प्रवर्तक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण	---
	नाम	---
	श्रेणी(Gen/**SC**/ST/OBC/अल्पसंख्यक)	---
	पूर्ण पता(पिनकोड सहित)	---
	दूरभाष	---
	मोबाइल	---
	ई-मेल	---
9	बैंक विवरण	---
	बैंक का नाम	---
	खाता संख्या	---
	आई0एफ0एस0सी0 कोड	---
	शाखा	---
10	इकाई का उद्यम पंजीयन अथवा उद्यम	---

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	असिस्ट प्रमाण-पत्र संख्या	
11	नामिनी का विवरण:-	---
	पूरा नाम	---
	उद्यमी से संबंध	---
	पूर्ण स्थायी पता	---
	दूरभाष/मोबाइल	---
	ई-मेल	---
	बैंक विवरण	---
	बैंक का नाम	---
	खाता संख्या	---
	आई0एफ0एस0सी0 कोड	---
	शाखा	

आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र :-

- उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा उद्यम असिस्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र
- 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र **(प्रारूप-2)**
- जन्म प्रमाण-पत्र
- PAN कार्ड की छाया प्रति (यदि उपलब्ध हो)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रारूप-2</u>

<u>मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत घोषणा-पत्र</u>

(रू0 10/-के स्टैम्प पर)

1. यह घोषणा-पत्र श्री / श्रीमती..... निवासी.....

.मो.नं.....ई.मेल.....

द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. श्री/श्रीमती..... द्वारा.....

नाम से अपना सूक्ष्म उद्यम जिसके कार्यस्थल का पता ..... है, पर स्थापित किया गया है, जिसमें..... का उत्पादन अथवा सेवा कार्य किया जा रहा है।

3. वर्तमान में यह उद्यम अथवा सेवा कार्यशील अवस्था में है, जिसमे..... व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

4. श्री/श्रीमती.....द्वारा दुर्घटना की दशा में इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य क्लेम धनराशि प्राप्त करने हेतु श्री/श्रीमती/कु0..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....निवासी ..... जिला..... (पिन कोड सहित) मोबाईल नंबर .....को अपना नामिनी नामित किया जा रहा है।

5. श्री/श्रीमती..... इस योजना के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित नहीं है।

6. प्रमाणित किया जाता है, की इस घोषणा - पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं सत्य है । इनमें किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा गलत सूचना प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रारूप-3</u>

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु

पात्रता प्रमाण-पत्र

श्री/श्रीमती .....निवासी .....जिला.....
(पिन कोड सहित) जो सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी हैं, जिनका उद्यम पंजीयन / उद्यम असिस्ट प्रमाण पत्र संख्या..... है एवं जिनका उद्यम .....स्थान पर स्थापित एवं संचालित है, द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड कर, सफलतापूर्वक अपना आवेदन पोर्टल पर आवेदित कर दिया गया है। श्री/श्रीमती.....के पक्ष में योजना हेतु एतद्द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। संदर्भित उद्यमी की दुर्घटना की दशा में योजनान्तर्गत अनुमन्य लाभ आवेदन में दर्शाये गये नामिनी श्री/श्रीमती/कु0.....को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्री/श्रीमती/कु0 दिनांक..... दिनांक 30 जून वर्ष 2024 की मध्यरात्रि तक बीमा हेतु पात्र होंगे/होंगी।

दिनांक :

ह0
उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र,
.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-4

<u>दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु/स्थायी अपंगता/आंशिक स्थायी अपंगता होने के उपरांत लाभ प्राप्त करने हेतु क्लेम फार्म</u>

1	दुर्घटना ग्रसित उद्यमी का विवरण	---
	नाम श्री/श्रीमती	---
	पुत्र/पुत्री/पत्नी	---
	स्थायी पता	---
	जिला	---
	पिनकोड	---
	मोबाइल नम्बर	---
2	उद्यम का विवरण	---
3	उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा उद्यम असिस्ट पंजीयन संख्या	---
4	दुर्घटना की तिथि व स्थान	---
5	दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण	---
6	दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी(FIR) संख्या व दिनांक (छायाप्रति अपलोड करें)	---
7	मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण (छायाप्रति अपलोड करें)	---
8	स्थायी अपंगता का विवरण (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र अपलोड करें)	---
9	आंशिक स्थायी अपंगता का विवरण (अपंगता प्रतिशत के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र अपलोड करें)	---
10	क्लेम की धनराशि(रू0)	---
11	नामिनी का विवरण:-	---
11.1	पूरा नाम	---
11.2	उद्यमी से संबंध	---
11.3	पूर्ण स्थायी पता	---
11.4	दूरभाष/मोबाइल	---
11.5	ई-मेल	---
12	बैंक विवरण	---
12.1	बैंक का नाम	---

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12.2	खाता संख्या	---
12.3	आई0एफ0एस0सी0 कोड	---
12.4	शाखा	---

क्लेम प्रपत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र:-

- दुर्घटना की तिथि,स्थान एवं दुर्घटना के सम्बन्ध में अन्य विवरण
- दुर्घटना के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) की प्रति
- मृत्यु की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- आंशिक स्थायी अपंगता होने की दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रतिशत का प्रमाण-पत्र
- नॉमिनी के बैंक खाते का विवरण

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>प्रारूप-5</u>

कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र.....

<u>संस्तुति-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जिनका उद्योग/सेवा.....पते पर स्थापित एवं कार्यरत है, एवं जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन/उद्यम असिस्ट नं. .....है, की दिनांक .....को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु/स्थायी अपंगता/आंशिक स्थायी अपंगता हो गयी है।

इस संबंध में मेरे द्वारा .....थाने में दर्ज एफ0आई0आर0, उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों यथा: मृत्यु प्रमाण-पत्र, अस्पताल के सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के परिशीलन एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत, उद्यमी श्री/श्रीमती ..... द्वारा बीमा में नामित नॉमिनी श्री/श्रीमती/कु0 .....को बीमा धनराशि रू0 ..... प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

नाम/हस्ताक्षर
(उपायुक्त उद्योग)
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रारूप-6</u>

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमा धनराशि स्थानान्तरण की सूचना

संख्या:..... तारीख:.....

आपके दावा संख्या .....के सापेक्ष जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र .....जनपद.....की संस्तुति (संस्तुति संख्या.....)दिनांक..... के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार लाभ की धनराशि सीधे [DBT] के माध्यम से आपके खाते में स्थानांतरित की गयी है:

- धनराशिः .....
- लाभार्थी का नामः .....
- खाता संख्या: .....
- बैंक का नाम: .....बैंक ब्रांच का नाम: .....
  IFSC code: .....
- धनराशि स्थानान्तरित करने की तिथि: .....
- UTR/transaction संख्या: .....

किसी भी और जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया अपने जनपद के जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र से संपर्क करें।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
कानपुर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।